एचएसजीपीसी ने कैथल में दो व पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा की सेवा संभाली

अंग्रेज सिंह गोराया को दिया नीम साहब गुरुद्वारा के प्रबंधन का काम, महंत कर्मजीत के साथ पूर्व प्रधान बलजीत भी पहुंचे

संवाद न्यूज एजेंसी

कैथल/पंचकूला। सुप्रीम कोर्ट के एक फरवरी को आए आदेश के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने मंगलवार सुबह नवनियुक्त अध्यक्ष महंत कर्मजीत सिंह की अगुवाई में संत बलजीत सिंह दादूवाल व कमेटी सदस्यों के साथ कैथल के नीमसाहब व मंजी साहब गुरुद्वारे की सेवा संभाल अपने हाथ में ले ली। हर अमावस्या के अगले दिन एसजीपीसी के इंस्पेक्टर जैसे ही गोलक खोलने पहुंचे तो नई कमेटी पदाधिकारियों ने उनसे पहले ही चाबियां ले ली। फिलहाल कमेटी ने कोई नया ताला नहीं लगाया है। वहीं एचएसजीपीसी ने पंचकूला में एतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब का कार्यभार भी मंगलवार को संभाल लिया लिया गया है। कमेटी के प्रधान बाबा कर्मजीत सिंह, सरदार गुरविंदर सिंह, बलजीत सिंह दादूवाल, बाबा गुरमीत सिंह त्रिलोक वाला, रमणीक सिंह मान और अन्य पदाधिकारी नाडा साहिब पहुंचे और गुरुघर की सेवा संभाली।

नीम साहब गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब की अरदास कर कैथल से एचएसजीएमसी सदस्य अंग्रेज सिंह गोराया को कैथल के दोनों गुरुद्वारों के प्रबंध व देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। गुरुद्वारा नीम साहब में सेवा संभालने से पहले एचएसजीएमसी के महासचिव गुरविंद्र सिंह धमीजा व अंग्रेज सिंह गोराया गुरुद्वारा मंजी साहब पहुंचे। जहां एसजीपीसी के इंस्पेक्टर सुखविंद्र से वहां के गोलक की चाबियां लीं। इसके बाद पूरी कमेटी गुरुद्वारा नीमसाहब पहुंचीं। इस मौके पर नई कमेटी के अध्यक्ष महंत कर्मजीत सिंह व संत बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि एक फरवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एचएसजीएमसी सभी गुरुद्वारों की सेवा संभाल अपने हाथ में ले रही है। पहले कुरुक्षेत्र और अब कैथल में यह सेवा संभाल ली गई है।

नई कमेटी पर मतभेद के मुद्दे पर दादूवाल ने कहा कि इस मामले में सभी को साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी अपील है कि जगदीश सिंह झींडा भी साथ आएं। गुरुद्वारों की सेवा संभाल के बाद एचएसजीएमसी का चुनाव होगा। कैथल गुरुद्वारों के प्रबंध की जिम्मेदारी एचएसजीएमसी सदस्य अंग्रेज सिंह गौराया को सौंपी है। अंग्रेज सिंह गौराया ने कहा कि गुरुद्वारा साहब नीम साहब व मंजी साहब की सेवा संभाल ले ली है। चीका की वे पहले ही देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में एसजीपीसी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल को भी अपने अधीन लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में हुए विरोध को देखते हुए भरी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

कैथल। नीम साहब गुरुद्वारे में अंगरेज सिंह गोराया को पटका पहनाकर गुरुद्वारों की सेवा प्रदान करते महंत कर्मजीत सिंह व अन्य।

गुरुद्वारों में लगे कर्मी नहीं हटेंगे

कोई अपने आप हटकर जाना चाहता है तो जाए, हम किसी को नहीं हटाएंगे: दादूवाल

नसीब सैनी

कैथल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान महंत कर्मजीत सिंह व पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने यहां कहा कि गुरुद्वारों में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को एचएसजीएमसी नहीं हटाएगी। यदि कोई खुद ही जाना चाहता है तो जा सकता है। एसजीपीसी कीअपेक्षा एचएसजीएमसी सेवा कार्य में कार्यरत कर्मचारियों को हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। नई कमेटी के इस एलान से हरियाणा के गुरुद्वारों में कार्यरत उन आठ सौ के ज्यादा कर्मचारियों को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। यह उनके लिए राहत की बात है।

सुप्रीम कोर्ट में एसजीपीसी की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय हो गई है और गुरुद्वारों की सेवा संभालकर विधिवत रूप से अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी है। ऐसे में हरियाणा के गुरुद्वारों में कार्यरत कर्मचारियों में इस बात की चिंता हो गई है कि उनका रोजगार न चला जाए। समिति सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में गुरुद्वारों में लगभग आठ से नौ सौ कर्मचारी कार्यरत हैं। (संवाद)

पंजाब से हालात का जायजा लेने पहुंची एसजीपीसी की कमेटी

कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारों की कमान संभाले जाने को लेकर एचएसजीपीसी और एसजीपीसी के बीच विवाद थम नहीं रहा है। गुरुद्वारा छठी पातशाही में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस बीच एसजीपीसी की पांच सदस्यीय कमेटी भी पंजाब से हालात का जायजा लेने पहुंची और गुरुद्वारा छठी पातशाही और सिख मिशन के साथ एसजीपीसी सब ऑफिस का दौरा किया। फिर एसपी से मुलाकात कर सोमवार को हुए घटनाक्रम में एचएसजीपीसी के पूर्व प्रधान महंत बलजीत सिंह दादूवाल और कंवलजीत सिंह अजराना और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत सौंपी। एसजीपीसी की सोमवार को हुई बैठक में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कैमपुर, जूनियर उप प्रधान अवतार सिंह रिया, महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल, सदस्य जरनैल सिंह करतारपुर और सदस्य बाबा बावा सिंह गुमानपुरिया शामिल किए गए। कमेटी मंगलवार की सुबह ही गुरुद्वारा छठी पातशाही पहुंची। सबसे पहले दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद हरियाणा सिख मिशन संस्थान में पहुंची। यहां मिशन और एसजीपीसी के सब ऑफिस पर लगे सीलबंद ताले देखकर उसकी वीडियो भी बनाई। फिर जिला सचिवालय में एसपी से मुलाकात के बाद महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा यह लड़ाई जारी रहेगी और हालात की रिपोर्ट एसजीपीसी व श्री अकाल तख्त को दी जाएगी।

महासचिव ग्रेवाल ने कहा कि हालात का जायजा लेने और मीडिया में आई रिपोर्ट से पता चला कि सोमवार को हुए घटनाक्रम के दौरान पुलिस के अधिकारी जूते पहनकर ही दरबार साहिब तक पहुंच गए, जो निशान साहिब की बेअदबी है।

एसजीपीसी की कमेटी एसपी एसएस भौरिया से मिली, जहां शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान जरनैल सिंह बोड़ी की ओर से शिकायत दी गई। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि वह दरबार साहिब में माथा टेकने गये थे, जहां दरबार साहिब की बेअदबी की जा रही थी। संवाद

बिजली मंत्री के सामने भाजपा महिला जिला सचिव से अभद्र व्यवहार, दो पर केस दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

दो पक्षों के बीच राजीनामा करवाने के लिए आई थीं महिला जिला सचिव मीरा

ओढां (सिरसा)। गांव नुहियांवाली में पहुंचे बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह की मौजूदगी में भाजपा की जिला सचिव से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर ओढां पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया है।

गांव नुहियांवाली में लालचंद व पांडूराम के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। इसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में गांव के मौजिज लोगों ने पांडूराम के पक्ष में लालचंद को राजीनामे के लिए काफी बार कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लालचंद मंत्री रणजीत सिंह का समर्थक है। रविवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह गांव में एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे। इससे पहले वे चौपाल में लोगों के बीच पहुंचे।

पांडूराम पक्ष के लोग वहां पहुंच गए। इसी दौरान लालचंद ने मंत्री के साथ आईं भाजपा की जिला सचिव मीरा गोदारा का नाम लिए बगैर पार्टी के लिए अपशब्द कहे तो जिला सचिव ने उससे अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कहा। इसके बाद चौधरी रणजीत सिंह जब शादी में लड़की को आशीर्वाद देने गए तो पीछे से इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ।

भाजपा जिला सचिव मीरा गोदारा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पांडूराम के मामले को लेकर उनके कहने पर दोनों पक्षों का राजीनामा करवाने के लिए आई थीं, लेकिन लालचंद ने चौपाल में सभी के सामने उसका नाम लिए बगैर पार्टी के लिए अपशब्द कहे। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि लालचंद व उसके भाई मदन लाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

एडमिट कार्ड की गलतियों को परीक्षा से पहले ठीक नहीं कराया तो प्राचार्य पर होगी कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

ए-4 साइज पेज पर रंगीन होना चाहिए एडमिट कार्ड

हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा के सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए एचबीएसई ने विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

बोर्ड अधिकारियों ने सभी स्कूल प्राचार्यों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने स्कूल के विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड ध्यानपूर्वक पढ़कर यह जांच करें की उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो प्राचार्यों को परीक्षा होने से पहले उस गलती को बोर्ड से संपर्क करके ठीक करवाना होगा। अगर कोई प्राचार्य ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ बोर्ड के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एचबीएसई का कहना है कि पिछले वर्षों में देखने में आया था कि कई स्कूलों के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में गलतियां रह गई थी। जैसे परीक्षार्थियों के फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता आदि गलत छप जाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन काफी परेशान होना पड़ता है। इस बार एचबीएसई ने प्राचार्यों को ही गलतियां ठीक करवाने के आदेश जारी किए हैं।

10वीं और12वीं के विद्यार्थी यह रखें ध्यान

- एडमिट कार्ड ए-4 साइज पेपर पर रंगीन होना अनिवार्य है।
- एडमिट कार्ड केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाएंगे।
- एडमिट कार्ड पर पहले ही स्केन किया गया फोटो चिपकाना है व सत्यापित करवाना है।
- दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक को परीक्षा में बैठाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज लाने जरूरी हैं।
- परीक्षा समय से आधा घंटा पहले एंट्री शुरू होगी।
- एडमिट कार्ड की लेमिनेशन नहीं करवानी है। क्योंकि एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने हैं।

मुआवजा वितरित करने पहुंची टीम का विरोध

केएमपी एक्सप्रेस वे के पिपली टोल प्लाजा पर अधिक मुआवजे के लिए किसान दे रहे धरना

खरखौदा (सोनीपत)। केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ बनने वाले हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत खरखौदा क्षेत्र की जमीन का मुआवजा वितरण करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम का किसानों ने विरोध किया।

मंगलवार को राजस्व विभाग के पटवारी गांव तुर्कपुर और थाना कलां पहुंचे थे। टीम के आने की सूचना पिपली टोल प्लाजा पर धरने दे रहे किसानों को मिली तो उन्होंने कार्रवाई का विरोध करने का फैसला लिया। इसके बाद किसानों ने दोनों गांवों में पहुंचकर कहा कि कोई किसान मुआवजा नहीं उठाएगा। कम मुआवजा मिलने के कारण किसान धरना दे रहे हैं।

हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर के तहत मुआवजा राशि देने के लिए राजस्व विभाग के पटवारी गांवों में गए और उन्होंने किसानों को मुआवजा राशि लेने के लिए अपने कागजात जमा करवाने के लिए कहा।

टीम के गांव में आने की सूचना मिलते ही किसान भारतीय नौजवान किसान यूनियन अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में तुर्कपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह राजस्व विभाग की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। संवाद

अध्यापक नहीं होने पर स्कूल पर जड़ा ताला

साल्हावास (झज्जर)। गांव गोरिया स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को रसायन शास्त्र प्रवक्ता के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों व बच्चों ने मेन गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। संवाद

फर्जी कागजात पर 31.90 लाख लोन लेकर खरीदीं चार कारें

सोनीपत। चार युवकों ने सेक्टर-15 स्थित इंडसइंड बैंक की मुख्य शाखा में फर्जी कागजात देकर कारों पर 31.90 लाख रुपये लोन ले लिया। जब युवकों ने एक भी किस्त जमा नहीं की तो बैंक अधिकारियों ने कागजों की जांच की तो वे सभी फर्जी मिले। बैंक प्रबंधक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। साथ ही आरोपियों से दो कार बरामद कर ली है। संवाद

बादली के बुपनियां गांव में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई गश्त

समुदाय विशेष में युवक व युवती की शादी का मामला

बादली। क्षेत्र में समुदाय विशेष के युवक और जिले की युवती के विवाह को लेकर गांव बुपनियां में तनाव बना हुआ है। मामले को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस ने गांव में गश्त भी बढ़ाई है।

सोमवार की रात से ही पुलिस की यहां नजर है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले को शांति से निपटवाया जाएगा। सोमवार को बुपनियां गांव में इस मामले को लेकर दो खापों की पंचायत भी हुई थी। पंचायत में लड़के के परिजनों को दो दिन का समय दिया गया था। इन दो दिनों में लड़की को उनके परिजनों के हवाले किए जाने की बात कही गई थी। संवाद

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुरला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-400051
क्षेत्रीय कार्यालय : एससीओ-153-154, सैक्टर 9-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160009, फोन नं. 0172-5085180
शाखा : 373, जी.टी. रोड, निकट ग्रीन एप्पल होटल, फतेहाबाद-125050, हरियाणा

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी एवं दस्तावेजों (हार्ड कॉपी) एवं (ऑनलाईन) के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय : 28.03.2023 को अप. 04.00 बजे।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 29.03.2023 को पूर्वा. 11.00 से दोपहर 12.00 बजे तक
(बिक्री के समाप्त होने तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार सहित)
प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 (2002 की संख्या 54) सरफेसी अधिनियम की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुन: निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत बैंक को रेहन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना।

चूंकि यहां नामित ऋणकर्ताओं ने कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड हेतु अदायगी करने से चूक गए हैं तथा यहां निर्दिष्ट राशि एवं उस पर अतिरिक्त ब्याज देना बाकी है, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने अपने प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत रेहन संपत्तियों का कब्जा ले लिया था एवं बैंक ने प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम के 2002 नियम 8 से 9 के तहत "जैसे है जहां है" एवं "जैसे है जो है" एवं "बिना शिकायत" की शर्त पर उनके नामों के प्रति यहां वर्णित संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है। बिक्री वेबसाईट https://kotakbank.auctiontiger.net also on auctiontigermobileapp पर प्राक्थानित ई-नीलामी प्लेटफार्म द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

खाता एवं ऋणकर्ता/रेहनकर्ता(ओं) /गारंटरों का नाम	अचल सम्पत्ति का ब्यौरा	मांग सूचना अनुसार राशि	ईएमडी जमा करने हेतु खाते का विवरण	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1. मैसर्ज कुबेर सीड्स (ऋणकर्ता) इसके मालिक द्वारा श्री पुरुषोत्तम दास पता : 74, अनाज मंडी, फतेहाबाद-125050, हरियाणा 2. श्री नरेन्दर कुमार (गारंटर सह रेहनकार) पता : म.सं. 23 बी, वार्ड सं. 17, नाहर कलोनी, फतेहाबाद125050 हरियाणा, दूसरा पता : मकान सं. 1395 सैक्टर-3, अर्बन ऐस्टेट फतेहाबाद-125050, हरियाणा 3. श्रीमती ऊषा कुमारी (गारंटर) पता : म.सं. 50 ए, वार्ड सं. 17, नाहर कलोनी, फतेहाबाद-125050, हरियाणा। 4. मैसर्ज, बादोपालिया कैमीकल्स (M/S Badopalia Chemicals) (गारंटर) पता : 74-बी, अनाज मंडी, शिवालिया मार्केट, फतेहाबाद-125050, हरियाणा।	श्री नरेन्दर कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास द्वारा स्वामित्व में गैर-कृषि सम्पत्ति। मकान सं. 1395, सैक्टर-3, अर्बन ऐस्टेट, फतेहाबाद-125050 (हरियाणा) में जामिल आवासीय सम्पत्ति के सभी जरूरी भाग। श्री नरेन्दर कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास द्वारा स्वामित्व में, उपरोक्त भूमि पर सभी मौजूदा भवन एवं संरचनाएं तथा उस पर संबंधित रेहन की तिथि से/बाद में किसी भी समय उस पर उत्थापित निर्मित किये गये अनुसार भवन एवं संरचना तथा उसमें सभी एडीशंस तथा सभी फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा भूमि से संलग्न प्लांट एवं मशीनरी या भूमि से संलग्न कुछ भी स्थायी रूप से, वर्तमान एवं भावी दोनों के साथ सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. 1396, दक्षिण : प्लॉट सं. 1394, उस पर वर्तमान एवं भावी सभी संरचना तथा उस पर संलग्न सभी इक्विमेंट्री। मामूल अधिकारों के साथ।	ऋण (I) 88,86,792/-रु. 31.08.2022 तक एवं ऋण (II) 12,13,804.60 रु. 11.09.2022 तक उस पर अतिरिक्त ब्याज, कीमतें एवं प्रभार के साथ।	खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लि., नरिमन प्वाईंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958	प्रापर्टी-1 Rs. 3,13,20,000/- Rs. 3,14,000/- Rs. 50,000/-

टीडीएस की कटौती की जाएगी-नीलामी कीमत का 1%
टीडीएस कटौती हेतु शर्तें : टीडीएस काटा जाएगा एवं रेहनकर्ता/ओं के नाम में जमा कराया जाएगा। * यदि रेहन रखी गई संपत्ति के मालिक एक से अधिक है, टीडीएस को पहले मालिक के नाम में रिपोर्ट किया जाएगा, जब तक कि बिक्री विलेख में स्वामित्व का विशिष्ट अनुपात होगा। ऐसे मामले में टीडीएस उसके स्वामित्व के अनुपात में काटा जाएगा।
* नीलामी में खरीददार, टीडीएस जमा करने के बाद टीडीएस भुगतान एवं पुष्टि के प्रमाण के तौर पर प्रपत्र सं. 16ए जमा कराएगा।

नियम एवं शर्तें :- (1) ई-नीलामी "जैसे है जहां है" एवं "जैसे है जो है" एवं बिना शिकायत आधार पर की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी के संपूर्ण ज्ञान एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भी ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली जमा कराने से पूर्व संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देय राशियों एवं नीलामी में रखी गई संपत्ति के टाईटल, ऋणभारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी थर्ड पार्टी दावों/अधिकारों/देय राशियों हेतु किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे। (2)बोलीदाता को यह जिम्मेदारी होगी कि वह बोली जमा कराने से पूर्व परिसम्पत्तियों एवं विनिर्देशन के विषय में स्वयं संतुष्ट हो ले एवं उसका निरीक्षण कर ले। नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण राज्य वसूली प्रबंधक-एबीसी से परामर्श पर बैंक के कार्यालयों में इच्छुक बोलीदाताओं को स्वीकृत होगी। (3) इच्छुक बोलीदाता अपने लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा नीलामी के विवरणों एवं बिक्री की नियम एवं शर्तों (यूजर आईडी एवं पासवर्ड को निःशुल्क https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html के पास अपना नाम रजिस्टर्ड कराने द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।) बैंक की शासकीय वेबसाईट "https://kotakbank.auctiontiger.net") पर जा सकते हैं। आरक्षित कीमत की 10% ईएमडी फतेहाबाद पर देय/पर भुगतान किया गया "कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा/ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा एवं यह 28.03.2023 को अप. 4.00 बजे अथवा उससे पहले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक II एवं III की विधिवत भरी गई एवं हस्ताक्षरित प्रति के साथ संबंधित बैंक शाखा को जमा कराई जाएगी। निविदा प्रपत्र को संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। (4) वेबपोर्टल में बोलीदाताओं द्वारा पंजीकरण के पश्चात इच्छुक खरीददार/बोलीदाता को बोलियों के जमा कराने की अंतिम तिथि से पहले वेबपोर्टल में अपलोडिड सिद्ध दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करनी होगी जैसे कि (i) डिमांड ड्राफ्ट की प्रति (ii) पेनकार्ड की प्रति (iii) पहचान प्रमाण (केवाईसी) अर्थात वोटर पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट इत्यादि की प्रति (iv) पता प्रमाण की प्रति (v) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक II एवं III की विधिवत भरी गई एवं हस्ताक्षरित प्रति, जिसके बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा। (5) इच्छुक बोलीदाता जिसे ई-बोली प्रक्रिया इत्यादि पर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग, बोली जमा करने, पर प्रशिक्षण की सलाहता चाहिए वह मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (आक्सन टाईगर), अहमदाबाद से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है : संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, मोबाईल नं. 9978591888 एवं 6351896833, संपर्क नं. 079-68136837/68136880/68136844, ई-मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net,/ आक्सन टाईगर मोबाइल ऐप पर भी ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं एवं संपत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु संपर्क कर सकते हैं। बैंक अधिकारियों का संपर्क विवरण है : कार्पोरेट बैंकिंग, कोटक महिन्द्रा बैंक : एससीओ 120, छठी मंजिल, फिरोजगांधी मार्केट, लुधियाना-141001 भारत, रंजित गुप्ता, मोबाईल+91-8558848217 ईमेल : rajit.gupta@kotak.com, कार्यालय दिवस के दौरान कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है। (6) केवल वही खरीददार जिनके पास वैध यूजर आईडी/पासवर्ड एवं डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाईन द्वारा ईएमडी की सुनिश्चित अदायगी है वही ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु योग्य होंगे। (7) इच्छुक बोलीदाता जिसने 28.03.2023 को अप. 4.00 बजे से पहले डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाईन द्वारा आरक्षित कीमत के 10% से अधिक अपनी ईएमडी जमा कराई होगी, वही ई-नीलामी में भाग लेने हेतु योग्य होंगे। उपरोक्त संपत्तियों की ई-नीलामी बोलीदाताओं के मध्य अंतःबोली द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार अधिसूचित तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी। बोलीदाता संपत्ति के प्रति "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत निर्दिष्ट गुणक में अपने प्रस्ताव सुधार करेंगे। अगर बोली ई-नीलामी के अंतिम समय के अंतिम 5 मिनटों में की जाती है, अंतिम समय स्वतः ही 5 मिन्टों के लिए बढ़ जाएगा (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के क्रिया में)। बोलीदाता जो ऑनलाईन ई-नीलामी के समापन पर उच्च बोली (आरक्षित कीमत से कम नहीं) जमा कराता है उसे सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा तथा इस हेतु सम्प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा जारी किया जाएगा जो कि प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा अनुमोदन के विषय में होगा। (8) सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि के भाग के रूप में रख ली जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस दे दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली कीमत की स्वीकृति के 48 घंटों के अंदर पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री कीमत का 25% जमा कराना होगा तथा शेष बिक्री कीमत का 75% बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले अथवा ऐसी विस्तारित अवधि में जो लिखित में सहमति पर होगी एवं प्राधिकृत अधिकारी के विशेषाधिकार पर होगी, जमा कराने होंगे। सफल बोलीदाता द्वारा अदायगी में चूक होने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा एवं चूककर्ता बोलीदार का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई भी दावा/अधिकार नहीं होगा। (9) प्रत्याशित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पहले मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न ही प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड किसी भी नेटवर्क समस्या के लिए जिम्मेदार होंगे तथा इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह ई-नीलामी इवेंट में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पूर्णतया सुसज्जित है। (10) खरीददार लागू स्टैम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी/टांसफर प्रभार, शुल्क इत्यादि एवं किसी भी व्यक्ति के सांविधिक/गैर सांविधिक बकाया राशि, कर्रों, दरों, एसेसमेंट, प्रभार, शुल्क इत्यादि को वहन करेगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी उच्च प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित/अस्थगित/रद्द अथवा किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार पूर्णतया सुरक्षित है। (12) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए एवं अपनी बोली जमा कराने से पूर्व मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड की वेबसाईट https://kotakbank.auctiontiger.net पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक देख लें। (13) यह प्रकाशन प्रभाव में मुख्य कर्जदार के विषय में है। (14) बिक्री प्रमाण पत्र प्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि पर एवं नीलामी खरीददार से प्रपत्र सं. 16ए के तहत टीडीएस प्रमाण पत्र को जमा कराने एवं संपूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति के पश्चात जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र सफल बोलीदाता के नाम में जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र में जिस व्यक्ति ने बोली जमा कराई है/ई-नीलामी में भाग लिया है के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में परिवर्तन करने हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। (15) बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कराने के बाद वह न ही रद्द की जाएगी/वापस ली जाएगी एवं बोलीदाता अंतिम बोली कीमत पर संपत्ति को खरीदने के लिए बाध्य होगा। बोलीदाता द्वारा यहां निर्दिष्ट ई-नीलामी की किसी भी नियम एवं शर्तों का पालन न करने पर चूककर्ता बोलीदाता द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (16) सफल बोलीदाता के घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर अंतिम एवं बाध्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए सफल बोलीदाता के घोषणा से पहले किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सशर्त बोलियां अवैध मानी जाएंगी। कृपया यह नोट कर लें कि बोलियों के जमा कराने के पश्चात बोलियों में किसी भी तरह के परिवर्तन के संबंध में पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी सांविधिक/गैर सांविधिक देयों, कर्रों, दरों, एसेसमेंट, प्रभार, शुल्क इत्यादि जो किसी भी व्यक्ति के है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र सफल बोलीदाता की होगी। बोलियों की वैधता के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब बोली राशि, ईएमडी जो कि बोलीदाता को कभी योग्यता थी, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करते प्राधिकृत व्यक्ति, इंटरप्रेटेशन एवं प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, अंततः बैंक अपने विशेषाधिकार पर बिक्री को वापस ले सकता है तथा बिक्री को दोबारा किसी भी तिथि पर एवं ऐसे समय पर जो बैंक द्वारा निर्णित होगा, संपत्ति को रखेगा। किसी भी तरह के विवाद के लिए बोलीदाताओं को केवल संबंधित बैंक की शाखा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को संपर्क करना होगा। (17) विशेष निर्देश, अंतिम समय में बोलीदाता अपने दिल में बोली करने से बचेंगे, न ही कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी लैप्स/फेलियर/इंटरनेट फेलियर/पॉवर फेलियर इत्यादि) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से निवेदन है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था कर लें जैसे कि पॉवर सप्लाई बैकअप इत्यादि, जिससे कि वे ऐसी परिस्थितियों से निपट सकें एवं सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाईट देखें https://kotakbank.auctiontiger.net (Mis E-procurementTechnologies Ltd.)
**यह प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के त